न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 51/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
शेषाराम पुत्र भेराराम जाति सीरवी निवासी बडेरावास वाया खैरवा तहसील पाली जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मांगीलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.06.2019

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 04/2016 में न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 एवं न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 1140/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि जसाराम पुत्र नवलाजी व धापु पत्नी जसारामजी जाति सीरवी निवासी बडेरावास ने संवत 2011 के दौरान ग्राम खैरवा के खसरा नंबर 4061 की आबादी भूमि जो वर्तमान में ग्राम बडेरावास के खसरा नंबर 1835 की भूमि में स्थित केनपुरा जाने वाले रास्ते के पास अपने स्वंय के खर्चे से एक कुए का निर्माण करवाया था, जो अपनी हिस्से की खातेदारी भूमि की सिंचाई करने हेतु उपयोग में आ रहा था। उनकी मृत्यु उपरांत उनकी पुत्री प्यारीदेवी एवं जमाई अपीलांट शेषाराम पुत्र श्री भेराराम का का उपयोग व स्वामित्व है। वर्तमान में उस कुंए में बिजली कनेक्शन एवं इंजन लगा हुआ है। ग्राम बडेरावास के फुलाराम पुत्र श्री अमराराम वगैरह ने 05.01.1992 को एक अन्य कुआं अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1799, 1810 की भूमि में सिचांई हेतु एक लीज डीड नदी के अंदर की तरफ खसरा नंबर 1429/1 की भूमि स्वीकृत करवाई, लेकिन कुआं नदी में नही खोदा, तत्पश्चात

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लीज को पुनः नवीनीकरण करवाया लेकिन कुआं नही खोदा एवं लीज 05.02.2012 को समाप्त हो गई, तब तहसीलदार पाली ने नामान्तरकरण संख्या 948 दिनांक 20.02.2013 के आदेश से खसरा नंबर 1429/2 भूमि रकबा 0.05 को पुन 1429/1 में समायोजित कर सिवाय चक दर्ज कर फुलाराम वगैरह को बेदखल करने के आदेश पारित किये। वास्तव में 1429/2 की भूमि में न तो कुंआ खोदा गया न ही भौतिक रूप से बेदखल किया गया। वर्तमान पटवारी हल्का खैरवा द्वितीय के द्वारा एक गलत खसरा परिवर्तन दर्ज कर शेषाराम पुत्र भैराराम जाति सिरवी निवासी बडेरावास के पुराने कुंए को गलती से खसरा नंबर 1429/2 मानकर बेदखली हेतु तहसीलदार पाली को लिख दिया एवं तहसीलदार पाली ने बिना जवाब व बिना भौतिक सत्यापन किए दिनांक 25.08.2015 को बिजली विभाग को अपीलांट के बेरे का कनेक्शन काटने हेतु पत्र लिख दिया, जबकि शेषाराम का उक्त बेरा ग्राम बडेरावास की आबादी भूमि खसरा नंबर 1835 की स्थित है। जिसका पट्टा ठिकाना खैरवा से 24.07.54 का बना हुआ है। जिसके पूर्वी दिशा के पडौस में नदी दर्शाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.07.2015 को धारा 91 का नोटिस प्रेषित कर अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये गैर कानूनी तरीके से 1200 रूप्ये जुर्माना वसूल किया एवं बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस दिया गया। जिस पर अपीलांट के द्वारा माननीय सिविल न्यायालय पाली के समक्ष प्रकरण संख्या 193/2015 दिनांक 03.10.2015 को दर्ज करवाया। जिसमे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.10.2015 को रेस्पोडेन्ट तहसीलदार पाली को पाबंद किया कि अपीलांट को मौके से बेदखल नहीं किया जावे एवं पानी का उपयोग करने व बिजली कनेक्शन नही काटने के आदेश दिया। इसके पश्चात पटवारी हल्का बडेरावास ने अपीलांट के अडौस–पडौस के सांठ–गांठ कर दिनांक 10.11.2015 को बिना सीमांकन एक और प्रकरण 1140/2015 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत इस आशय में प्रस्तुत किया कि अपीलांट ने खसरा नंबर 1807 रकबा 0.02 किस्म गै.मु. रास्ता एवं गै.मु बेरा पर कब्जा कर लिया है। जिस पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.11.2015 को उपस्थित हुआ एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात पत्रावली 27.11.2015 को साक्ष्य सबूत एवं पटवारी हल्का के बयान हेतु रखी गई किन्तु पटवारी हल्का के न तो बयान लिये गये एवं न ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र माना एवं दिनांक 27.11.2015 को माननीय सिविल न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए बेदखली जुर्माना एवं एक माह के सिविल कारावास का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील जिला कलक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे जैर अपील निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। वादग्रस्त आराजी को किसी भी टीम ने मौके पर जाकर सीमांकन नही किया था। पटवारी हल्का ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अलग अलग खसरा नंबर पर कुंआ बताते हुए 91 का प्रकरण बनाकर तहसीलदार पाली के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त अगर वादग्रस्त आराजी आबादी भूमि है तो सक्षम न्यायालय के वाद मे यह तय हो जायेगा कि कौनसा खसरा आबादी है। तहसीलदार पाली को अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने का कोई अधिकार नही रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं तथ्यो के विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय अपास्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का खैरवा की टी.पी. रिर्पोट अनुसार ग्राम बडेरावास के खसरा नंबर 1429/2 रकबा 0.05 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा पर अवैध कब्जा कर विघुत कनेक्शन किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 05/2015 निर्णय दिनांक 17.08.2015 पारित कर अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखली एवं 1200 रूप्ये जुर्माना लगाया। उसके पश्चात इसी वर्ष अतिक्रमण बाबत दूसरा प्रकरण संख्या 1140/2015 दर्ज हुआ। जिस पर जैर अपील निर्णय पारित किया गया। हल्का पटवारी द्वारा पूर्व प्रकरण में केवल मात्र मौके की स्थिति के अनुसार अपीलांट का अतिक्रमण गैर मुमकिन बेरा नदी में बताया गया एव उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष टी.पी रिर्पोट प्रस्तुत करने के बाद में गठित टीम द्वारा सीमाकंन करने पर स्पष्ट हुआ कि अपीलांट का अतिक्रमण रास्ते की भूमि पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार पाली के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जिसमे भू–अभिलेख निरीक्षण खैरवा सहायक ऑफिस कानूनगो पाली, पटवारी हल्का खैरवा एवं पटवारी हल्का मण्डली खुर्द सदस्य थे। उक्त टीम द्वारा नाप चौप कर प्रस्तुत रिर्पोट के अनुसार अतिक्रमी बेरा खसरा नंबर 1807 मे होना बताया है। इसके अतिरिक्त हाजा न्यायालय द्वारा तलब मौका रिर्पोट अनुसार उक्त बेरा खसरा नंबर 1807 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में अंकित किया है। जो कि राजकीय भूमि है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त कुआ गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में स्थित है। अपीलांट ने उक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं जहां तक माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित स्थगन का प्रश्न है तो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 1835 के संबध में पारित किया गया है। जो कि अपीलांट के अनुसार आबादी पट्टा शुदा आराजी है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को खसरा नंबर 1807 का अतिक्रमी मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में वादस्थ भूमि कि किस्म गै0मु0 रास्ता है, जो कॉमन लैण्ड की श्रेणी में शुमार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त उक्त किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 04/2016 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 एवं न्यायालय तहसीलदार पाली द्वारा प्रकरण संख्या 1140/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2015 यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालयो का रेकर्ड के साथ लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली